



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12082021-228939  
CG-DL-E-12082021-228939

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 225]  
No. 225]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 12, 2021/श्रावण 21, 1943  
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 12, 2021/SHRAVANA 21, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

शुद्धिपत्र अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2021

विषय : मलेशिया से "सिरेमिक टेबलवेयर और किचनवेयर जिसमें चाकू और शौचालय की मर्दे शामिल नहीं हैं" के आयातों के द्वारा चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए "सिरेमिक टेबलवेयर और किचनवेयर जिसमें चाकू और शौचालय की मर्दे शामिल नहीं हैं" के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना के संबंध में प्रवंचनारोधी जांच।

फा. सं. 7/33/2020-डी जी टी आर.—समय समय पर यथा-संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और समय पर यथा-संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखकर, निर्दिष्ट प्राधिकारी शुल्क तालिका में पैरा 52 के अंतर्गत दिनांक 30.08.2021 की अधिसूचना सं. 7/33/2020-डीजीटीआर के माध्यम से जारी किए गए अंतिम जांच परिणामों में एतद्वारा निम्नलिखित सुधार करते हैं, अर्थात् –

(1) क्र. सं. 1, 2 और 3 में, कॉलम सं. 9 में मूल्य अर्थात् राशि "1.32" को "1.04" के रूप में पढ़ा जाए।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****CORRIGENDUM NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th August, 2021

**Subject : Anti-Circumvention investigation concerning circumvention of anti-dumping duty imposed on imports of \*Ceramic Tableware and Kitchenware, excluding knives and toilet items" originating in or exported from China PR, by imports of "Ceramic Tableware and Kitchenware, excluding Knives and Toilet Items" from Malaysia.**

**F. No.7/33/2020 –DGTR.**—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, thereof, the Designated Authority hereby makes the following corrections in the Final Findings issued, vide notification No. 7/33/2020-DGTR dated 03.08.2021, underpara52, in the duty table, namely-

- (1) in serialnumber. 1,2, and 3, the value in Column no. 9 i.e., Amount “1.32” may read as “1.04”.

ANANT SWARUP, Designated Authority